

फर्द अहकम

नियम 26




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

बनाम... जगदीश पुत्र मनोहर

किस्म मुकदमा/धारा:- प्रार्थना-पत्र (111-128)

प्रकरण संख्या... 11 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम तामील जारी हुए
<p><u>5/01</u> 2026</p>	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक <u>20/1</u>/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा </p>	<p>तामील प्राप्त</p>
<p><u>20/1</u> 2026</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभावक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक <u>3/2</u>/2026 को वास्ते <u>तलबी</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां </p>	<p>तामील प्राप्त</p>
<p><u>3/02</u> 2026</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की वाद तामील प्राप्त हुई, मिले शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश चारित किए। पत्रावली में आदेश चारित किए गए। पत्रावली में आदेश याल्नाथ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी </p>	<p>तामील प्राप्त</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 11/26

तारीख दाखल 5/01/2026

1- नन्दा पुत्र काना जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

- 1- जगदीश पुत्र मनोहर जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- रामु देवी पत्नि भागुता जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- उमराव सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- बबलु सिंह पुत्र खान सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक :- 3/02/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री नन्दा दरोगा ने जरिये अभिभाशक श्री बहामप्रकाश तिवाड़ी, बिड़ल तिवाड़ी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम माल का खेड़ा पटवार क्षेत्र माल का खेड़ा भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 27 आराजी नंबर 63 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 64 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत-~~2073~~-~~2074~~ के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम माल का खेड़ा पटवार क्षेत्र माल का खेड़ा भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 27 आराजी नंबर 63 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 64 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 11/26

तारीख दायर 5/11/2024

प्रेषिति :-
तहसीलदार
बिजौलियों

विषय :- प्रकरण संख्या पत्थरगढी वावत।

1- नन्दा पुत्र काना जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिजौलियों
जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

1- जगदीश पुत्र मनोहर जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- रामु देवी पत्नि भागुता जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

3- उमराव सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

4- बबलु सिंह पुत्र खान सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम माल का खेड़ा पटवार क्षेत्र माल का खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों कलां तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 27 आराजी नंबर 63 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 64 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियों कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों